

आदेश संख्या :- 75/2023-24

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963, के नियम-29 (2ए) के अन्तर्गत पूर्व वर्ष एवं वर्ष-2022-23 की रिक्तियों पर विचारार्थ गठित पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.08.2023 की अभिशंभा के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों (गैर अनुसूचित क्षेत्र), का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद के पे-मेट्रिक्स लेवल एल-11 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	लिंक नं.	मेरिट/ बैच	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	वर्ग	रिक्ति दिनांक	विवरण	विशेष वि०
1.	10044	636/2013	सुधीर कुमार	20.08.1986		01.04.2022	दो से अधिक संतान	इनकी वरिष्ठता प्रद्युम्न देव सिंह भाटी एवं जितेन्द्र सिंह राजपुत के मध्य रहेगी।
2.	11712	1095/2013	प्रदीप कुमार चौधरी	20.08.1984		01.04.2022	दो से अधिक संतान	इनकी वरिष्ठता राजेन्द्र कसवा एवं सुरेन्द्र कुमार के मध्य रहेगी।
3.	12981	1564/2013	सत्यदेव शर्मा	11.09.1979		01.04.2022	दो से अधिक संतान	इनकी वरिष्ठता मनीष कुमार एवं ज्योति भारतीय के मध्य रहेगी।
4.	11934	2563/2013	मनोहर लाल	01.01.1989		01.04.2022	दो से अधिक संतान	इनकी वरिष्ठता बबीता एवं दीपक कुमार बाथरा के मध्य रहेगी।
5.	12967	2696/2013	गौतम चन्द	19.10.1986		01.04.2022	दो से अधिक संतान	इनकी वरिष्ठता पूजा सेठी एवं दिवीजा चौधरी के मध्य रहेगी।

उपरोक्त कार्मिकों की पदोन्नति कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1) कार्मिक/क-2/95/पार्ट दिनांक 16.03.2023 के क्रम में की गई हैं। इनका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह 03 पश्चात्पूर्वी वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होंगे और ऐसे 03 वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुभूय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। अतः इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड में क्रमोन्नत/क्रमावत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.2 (15) वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 10.10.2023 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ग)(1)(6)/गैर.अनु.क्षेत्र/2022-23/अलेसे-आ/1062 दिनांक :- 07.12.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज० जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
4. श्री..... कनिष्ठ लेखाकार (गैर अनु.क्षेत्र), कार्यालय.....
को निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड-आ पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. अलेसे-आ/आ/डीपीसी शाखा/ए.सी. आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)